

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/200403-419

जयपुर,दिनांक:

22-11-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
.....जिला.....

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों के अंतर्गत निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-


मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, बनेडा	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	7.00	22.00
2	.. बाडमेर ग्रा. II	09. किराया कार्यालय	राज्य निधि-ब	0.00	1.25	1.25
3	.. धोरीमन्ना I	42. प्रोत्साहन एवं मानदेय	केन्द्रीय सहायता	54.95	24.00	78.95
			राज्य निधि	36.63	16.00	52.63
4	.. केशोरायपाटन	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.24	0.12	0.36
			राज्य निधि	0.16	0.08	0.24
5	.. हिण्डौली	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	4.25	11.75
			राज्य निधि	22.50	12.75	35.25
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
6	.. सुजानगढ ग्रा.	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.15	0.30
			राज्य निधि	0.45	0.45	0.90
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.50	0.05	0.55
7	.. चुरु ग्रा.	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.55	0.05	0.60
8	.. बाडी	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.50	0.05	0.55
9	.. पदमपुर	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
10	.. श्रीकरणपुर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	3.50	11.00
			राज्य निधि	22.50	10.50	33.00
11	.. लूणी	20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.24	0.12	0.36
			राज्य निधि	0.16	0.08	0.24
12	.. आमेर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	15.00	8.00	23.00
			राज्य निधि	45.00	24.00	69.00
			राज्य निधि-ब	30.00	9.50	39.50
13	.. गोविन्दगढ I	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	3.00	13.00
			राज्य निधि	30.00	9.00	39.00
			राज्य निधि-ब	19.00	3.00	22.00
14	.. बयाना	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	10.00	17.50
			राज्य निधि	22.50	30.00	52.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
15	.. खण्डेला	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	10.00	17.50
			राज्य निधि	22.50	30.00	52.50
		03. यात्रा व्यय	राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
			केन्द्रीय सहायता	0.15	0.25	0.40
16	.. खमनोर	01. संवेतन	राज्य निधि	0.45	0.75	1.20
			केन्द्रीय सहायता	7.50	3.50	11.00
17	.. लाडपुरा	01. संवेतन	राज्य निधि	22.50	10.50	33.00
			केन्द्रीय सहायता	7.50	10.00	17.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
		36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	1.08	0.36	1.44
			राज्य निधि	0.72	0.24	0.96


उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र क्रमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि 0.60 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखना जाना सुनिश्चित करावें।


वित्तीय सहायकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/200420-432
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दि:
22-11-18

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सहायकार